

<p>तारीख दिवस</p>	<p>कार्यकाण्ड का विवरण दिवस या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज श्रीमान श्रीमान (नि.) दिनांक - 16/1/2016</p>	<p>पक्षकार अपक्षकार दिवस</p>
<p>26-6-2023</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फारिख द्वारा उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौर/अन्य कार्य में व्यस्त/भीटिंग में है। पत्रावली वास्तु अधिन कार्यवाही हेतु दिनांक 28-2-23 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i> उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमका)</p>	
<p>2-8-23</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फारिख द्वारा उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौर/अन्य कार्य में व्यस्त/भीटिंग में है। पत्रावली वास्तु अधिन कार्यवाही हेतु दिनांक 26-9-23 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
<p>26-9-23</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उमय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौर/अन्य कार्य में व्यस्त/भीटिंग में है। पत्रावली वास्तु अधिन कार्यवाही हेतु दिनांक 15-12-23 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
<p>15-12-23</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उमय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौर/अन्य कार्य में व्यस्त/भीटिंग में है। पत्रावली वास्तु अधिन कार्यवाही हेतु दिनांक 18-02-24 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
<p>19-2-24</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उमय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौर/अन्य कार्य में व्यस्त/भीटिंग में है। पत्रावली वास्तु अधिन कार्यवाही हेतु दिनांक 15.04.2024 को रूकजाई होने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उमय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर अधिवक्तागण व पक्षकारान् को बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकूलाय उमय पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकूलाय उमय पक्षकारान् की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदालत पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाकी तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p><i>[Signature]</i> ( अनिल कुमार ) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)</p>	
<p>15.07.2024</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उमय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौर/अन्य कार्य में व्यस्त/भीटिंग में है। पत्रावली वास्तु अधिन कार्यवाही हेतु दिनांक 15.04.2024 को रूकजाई होने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उमय पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक रुक-रुक कर अधिवक्तागण व पक्षकारान् को बार-बार आवाज दिलवाई गई। वकूलाय उमय पक्षकारान् में से कोई हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः वकूलाय उमय पक्षकारान् की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदालत पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाकी तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p><i>[Signature]</i> ( अनिल कुमार ) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)</p>	